न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर

2020/00034 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1.सीता 2.मुन्नीदेवी बनाम 1.रंगलाल, 2.भोली	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/8/21 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य बहिष्कार/ P. O का० राज्य कार्य से व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी दी गई। पत्र आदेश की पालना में दिनांक 20/9/21 को पेश हो। हस्ताक्षर 20.9.2021 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी एवं रेस्पोन्डेन्ट वकील उपस्थित, वकील पक्षकारान को सुना, पक्षकारान ने अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त कर पुनः विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण खोलने की कार्यवाही के लिये तहसीलदार को रिमाण्ड करने में सहमति प्रकट की, हमने अपील ... मय दस्तावेजात, सरपंच प्रार्थना पत्र एवं [illegible] द्वारा प्रस्तुत [illegible] ग्राम पंचायत [illegible] द्वारा प्रस्तुत [illegible] एवं प्रमाणित [illegible] मृतक [illegible] नामान्तरकरण सं० 8 दिनांक 20.9.97 प्रतिलिपि नामान्तरकरण [illegible] ग्राम पंचायत [illegible] ग्राम [illegible] का अवलोकन किया, ग्राम पंचायत [illegible] का [illegible] नामान्तरकरण [illegible] द्वारा खोला [illegible] होने के उपरान्त पुत्र रंगलाल व [illegible] के नाम खोला किया है [illegible] के नाम [illegible] राजस्व रिकार्ड में [illegible] अपीलार्थी [illegible] मृतक [illegible] 1,2 पुत्रियां भी हैं। [illegible] से नामान्तरकरण सं० 8 [illegible] वंचित रखा गया है [illegible] होना प्रकट है। उपरोक्त विवेचन	[illegible] NS

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Kumar Meena
Date: 2021.10.26 22:51:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज .	नम्बर अहक... हुक्म... में जा...
	एवं वकील पक्षकार की सहमति से अपीलार्थी अपील स्वीकार योग्य होना पाया जाना उचित प्रतीत होता है अतः आदेश है, कि अपीलार्थी अपील विरुद्ध रेस्पोडेन्ट स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन नामान्तकरण सं० 8 दिनांक 20.9.97 ग्राम धनावड़ तहसील [illegible] सरपंच ग्राम पंचायत धनावड़, निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार [illegible] को पुनः विधिवत जांच कर जायज वारीसान के नाम नामान्तकरण दर्ज करने हेतु रिमाण्ड किया जाता है। तहसीलदार [illegible] को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो निर्णय सुनाया गया (नीरज कुमार मीना) RAS [illegible] [illegible]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeraj Kumar Meena
Date: 2021.10.26 22:51:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner